

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—178/2024

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० कल्याणी कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), SNCU सदर अस्पताल, अरवल सम्प्रति सीनियर रजिडेन्ट (टेन्योर-BHS), शिशु रोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—9889, दिनांक—01.12.2015 के आलोक में दिनांक—15.07.2024 से 10.01.2025 तक कुल—180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध— 01—178/2024 - 931/17 पटना, दिनांक :- 29/07/2026

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

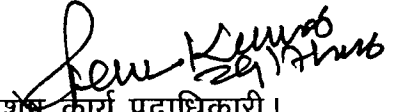
प्रतिलिपि:— संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सिविल सर्जन, अरवल/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डॉ० कल्याणी कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), SNCU सदर अस्पताल, अरवल सम्प्रति सीनियर रजिडेन्ट (टेन्योर-BHS), शिशु रोग विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।